

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 492]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 सितम्बर 2018—भाद्र 23, शक 1940

स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2018

एफ. 1-112-2018-बीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश अराजपत्रित तृतीय वर्ग शैक्षणिक सेवा (अमहाविद्यालयेत्तर सेवा) भरती तथा पदोन्नति नियम, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची क्रमांक-2 में, अनुक्रमांक 12 में, मद क्रमांक (07) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

विभाग का नाम	सेवा में सम्मिलित स्थायी पदों का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत सीधी भरती द्वारा [नियम 7 (क) देखिए]	सेवा के मूल अस्थाई सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 7 (क) देखिए]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“शिक्षा विभाग, अमहाविद्यालयीन शाखा”	(7) ग्रंथपाल (निम्न वेतनमान)	152	100 %	—,—

No. F-01-112-2018-XX-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Non-Gazetted Class-III Education Service (Non-collegiate Service) Recruitment and Promotion Rules, 1973, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in Schedule-II, in serial number 12 for item number (7) and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

Name of the Department	Name of the permanent post included in the service	Total number of duty post	Percentage of No. of posts to be filled in	
			By direct recruitment [see rule 7 (a)]	By promotion of temporary member of the service [see rule 7 (b)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“Education Department, Non-Collegiate Branch”	(7) Librarian (Lower Pay Scale)	152	100%	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय कुमार शर्मा, अपर सचिव.